

मध्यप्रदेश सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-I

2009-2010

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड-I	
■ विषय सूची	(i)-(ii)
■ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	(iii)-(v)
■ वित्त लेखे की मार्गदर्शिका (प्रस्तावना)	1-4
1. वित्तीय स्थिति का विवरण	5-6
2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	7-8
3. समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण	9-13
4. समेकित निधि के अंतर्गत व्यय का विवरण	14-19
○ कार्य और प्रकृति के अनुसार	
■ लेखों पर टिप्पणियां	20-26
■ परिशिष्ट-I : रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश	27-31
खण्ड-II	
भाग-I	
5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	35-39
6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	40-43
7. सरकार द्वारा दिये गए कर्ज और उधार का विवरण	44-47
8. सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदान का विवरण	48-49
9. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण	50-54
10. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	55-56
भाग-II	
11. राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार विवरण	59-88
12. राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार ब्यौरेवार विवरण	89-120
13. पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	121-281
14. सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	282-308
15. उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण	309-325
16. सरकार द्वारा दिये गए कर्ज और उधार का ब्यौरेवार विवरण	326-361
17. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग का ब्यौरेवार विवरण	362-365
18. आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का ब्यौरेवार विवरण	366-375
19. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	376-378

विषय-सूची – समाप्त

विषय	पृष्ठ
भाग-III : परिशिष्ट	
II. वेतन पर तुलनात्मक व्यय	381-385
III. राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय	386
IV. सहायता-अनुदान (योजनावार और संस्थावार)	387-394
V. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	395-401
VI-A. आयोजनागत योजना व्यय	402
VI-B. राज्य आयोजनागत योजना	403-404
VII. केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण	405-406
VIII. शेषों का सारांश	407-410
IX. सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम	411
X. अपूर्ण लोकनिर्माण कार्य ठेकों का उपापर्ण विवरण	412
XI. राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप निराकृत न होने वाले शेषों के आवंटन से संबंधित मदों का विवरण	413-414
XII. राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण	415-422

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण—पत्र

इस संकलन में मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण एवं देयताओं के लेखाओं और लेखाओं में अभिलेखित शेषों से यथा परिकलित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों सहित वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।


वित्त लेखाओं को नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाऊचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (संख्या 7, 9 एवं 14), विवरण संख्या 5 की व्याख्यात्मक टिप्पणियों और परिशिष्ट V को मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ—साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं लेखाओं के संकलन, रखरखाव, वार्षिक लेखाओं की तैयारी और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के संकलन, तैयारी और अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से निर्वहन किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा ऐसे लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित इन लेखाओं पर विचार की अभिव्यक्ति हेतु इन लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2009-10 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के प्रयोजन के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली मध्यप्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्ग दर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का वृहद् विहंगावलोकन


1. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग-I :-समेकित निधि : राजस्व एवं पूंजीगत लेखे के समस्त व्यय एवं प्राप्तियां, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशागियां राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

भाग-II : आकस्मिकता निधि : विधायिका द्वारा विधि के अंतर्गत स्थापित आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है। यह निधि राज्य की विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को समेकित निधि में संबंधित क्रियात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर की जाती है।

भाग-III : लोक लेखा : राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके लिये प्राप्त अन्य सभी लोक धन लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। इस लेखे से किया गया व्यय विधान सभा द्वारा मतदेय नहीं होता है। इस लेखे में प्राप्तियों के संदर्भ में सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है। ऋण (भाग-I के लोक ऋण के अतिरिक्त), जमा, पेशागियां, आरक्षित निधियां, उचंत एवं प्रेषण संबंधी लेन-देन लोक लेखे के भाग हैं।

क.1.1 सरकारी लेखे की संरचना का चित्र प्रदर्शन



2. भाग, अनुभाग, क्षेत्र इत्यादि

समेकित निधि में लेखाओं के मुख्य दो भाग पूर्व पृष्ठ पर क्र. 1.1 में प्रदर्शित किए गए हैं। 'राजस्व तथा पूंजीगत, लोक ऋण, कर्ज इत्यादि जो समेकित निधि के प्राप्ति तथा व्यय के भागों में विभाजित किए गये हैं। व्यय पक्ष की ओर किए गए लेन देन सेक्टर में समूहीकृत किए गए हैं यथा "सामान्य सेवाएं," सामाजिक सेवाएं, "आर्थिक सेवायें" जिसके अंतर्गत विशेष कार्य तथा सेवायें समूहीकृत किये जायेंगे। सेक्टर, उप सेक्टर/लेखाओं के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उप विभाजित किए गए हैं। मुख्य शीर्ष क्रियाकलापों को दर्शाते हैं जो आगे उप मुख्य शीर्ष (उप क्रिया कलापों) एवं लघु शीर्षों (कार्यक्रमों) में विभाजित किये गए हैं जो वित्त लेखे के खण्ड-दो में दर्शित हैं। लेखों के लघु शीर्ष के नीचे वर्गीकरण यथा उपशीर्ष (योजना) तथा विस्तृत तथा उद्देश्य शीर्ष (व्यय का उद्देश्य) वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर) यद्यपि कुछ विवरण परिशिष्टों में सम्मिलित किए गए हैं -

(ख) विवरण पत्रकों में क्या निहित है

वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग-1 में सामान्य रूप से समझाने योग्य संक्षिप्त पत्रकों में सरकार के वित्तीय विवरण हैं, जबकि इनके विस्तृत विवरण भाग-2 में दिए गए हैं।

खण्ड-1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र सहित चार संक्षिप्त विवरण पत्रक जैसा नीचे वर्णित है एवं लेखांकन नीतियों को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी से संबंधित है।

(1) **वित्तीय स्थिति का विवरण** : सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े जो कि वर्षान्त में थे विवरण में प्रदर्शित किए गए हैं। प्रगामी पूंजीगत परिव्यय जो सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है। परिसम्पत्तियां वृहद् रूप से सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाले प्रगामी पूंजीगत व्यय के आंकड़ों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियां हैं। परिसम्पत्तियां लेखांकन नीतियों के अनुसार ऐतिहासिक मूल्यों पर प्रदर्शित की गई हैं।

(2) **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण** : यह संक्षिप्त विवरण है जिनमें सरकार के लेखे जो तीन भागों में रखे जाते हैं यथा, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में वर्ष के दौरान सरकार की समस्त प्राप्तियां और व्यय को प्रदर्शित करती हैं। पुनः समेकित निधि में राजस्व और पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियों और व्यय को पृथक रूप से दर्शित किया गया है।

सरकार के राज कोषीय मानकों यथा प्राथमिक, राजस्व और राजकोषीय घाटा राज्य सरकार के समेकित निधि के परिचालन पर परिगणित किए गए हैं। इसलिए निम्न दो विवरणों में समेकित निधि के परिचालन के संक्षिप्त रूप में दिया गया है।

(3) **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)** : इस विवरण में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा ऋण के रूप में भारत सरकार से, अन्य संस्थाओं से, बाजार से सरकार द्वारा लिए ऋण तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूलियों की प्राप्तियों का समावेश है।

(4) **व्यय का विवरण (समेकित निधि)** : यह विवरण न केवल क्रियात्मक रूप से व्यय के विवरण देता है अपितु कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का उद्देश्य) के रूप में व्यय के संक्षिप्तीकरण को भी प्रदर्शित करता है।

खण्ड-2 - तीन भागों में विभक्त है। पहले भाग में निम्नानुसार छः विवरण पत्रक हैं।

(5) **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण** : इस विवरण में क्रियात्मक रूप से विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय दर्शित है, जिसका योग विवरण संख्या (1) में दिया गया है।

(6) **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण** : सरकार द्वारा लिए उधार में सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण), भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित हैं। यह दोनों एक साथ में सरकार के लोक ऋण के भाग हैं। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरण अन्य दायित्वों को दर्शाता है जो कि लोक लेखे के विभिन्न खण्डों के शेष हैं। पश्चात्वर्ती के संबंध में सरकार निधियों के न्यासी और ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, एतदर्थ यह सरकारी दायित्व का विनिर्माण करती है। इस विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टीप यथा राजस्व प्राप्तियों से प्रतिपूरित निवल ब्याज की मात्रा पर टीप निहित है।

(7) **सरकार द्वारा दिए गए कर्ज का विवरण** : राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम विवरण संख्या 1 में दिए गए हैं तथा प्राप्तियों और संवितरण विवरण संख्या 2, 3 तथा 4 में दर्शित हैं। यहाँ सेक्टर तथा ऋणी समूहवार ऋण एवं अग्रिमों का संक्षिप्तीकरण किया गया है। इसके नीचे ऋणों के संदर्भ में बकाया कटौतियां हैं, जिसके विस्तृत ब्यौरे महालेखाकार कार्यालय व राज्य सरकार के विभागों द्वारा संधारित किए जाते हैं, की टीप भी दी गई।

(8) **राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण** : समूहवार ग्राहीता संस्थाओं द्वारा संगठित किया जाता है। इसमें सामग्री के रूप में दी गई सहायता अनुदान पर टीप भी सम्मिलित है।

(9) **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण** : वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, स्थानीय संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा उद्भूत ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी तथा वर्ष की परिसमाप्ति पर लंबित गारंटी राशियों को इस पत्रक में दर्शाया गया है।

(10) **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण** : यह विवरण सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय को प्रस्तुत करता है।

भाग-II

खण्ड-2 के इस भाग में खण्ड-1 एवं खण्ड-2 के भाग 1 के विवरण पत्रकों के तदनुरूपी 9 विवरण पत्रक हैं, जो लघुशीर्ष वार विस्तृत लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं।

(11) **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों को विस्तार से प्रदर्शित करता है।

(12) **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण विस्तार में सरकार के राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है। आयोजन एवं आयोजनेत्तर आंकड़े पृथक से दर्शित करते हुए इनका पूर्व वर्षों के आंकड़ों से तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है।

(13) **पूंजीगत व्यय का ब्यौरे वार विवरण** : यह विवरण सरकार के पूंजीगत व्यय के विवरणों को विस्तार से प्रदर्शित करता है। आयोजना एवं आयोजनेत्तर आंकड़ों को पृथक से प्रदर्शित करते हुए पूर्व वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वर्षान्त तक संचयी पूंजीगत व्यय को भी इसमें दिखाया जाता है।

(14) **सरकार के निवेशों का ब्यौरे वार विवरण** : इस विवरण में वर्तमान तथा पूर्व वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अंशपूजी तथा ऋणपत्र में शासकीय निवेश की स्थिति प्रदर्शित की गई है। विवरण में शेयरों के प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

(15) **उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण** : लघुशीर्ष स्तर तक उधारों के विवरण (सरकार द्वारा उठाये गए बाजार ऋण तथा भारत सरकार से कर्ज आदि) उनकी परिपक्वता, सभी ऋणों के पुनर्भुगतान की रूपरेखा इस विवरण पत्रक में प्रस्तुत की गई है। यह खण्ड-II के भाग-I के विवरण 6 के तदनुरूपी विस्तृत विवरण है।

(16) **सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण** : सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों, के ब्यौरे कर्ज के शेषों में परिवर्तन, अपलिखित कर्ज, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि के विस्तृत विवरण इस पत्रक में दर्शित किए गए हैं। यह आयोजना कर्जों को भी पृथक से दर्शित करता है।

यह खण्ड-II भाग-I के विवरण संख्या 7 के तदनुरूपी विस्तृत विवरण है।

(17) **राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं अनुपयोग का ब्यौरेवार विवरण** : पूंजीगत एवं अन्य व्यय, राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय, के लिए निधियों के स्रोत इस विवरण पत्रक में दिखाये गए हैं।

(18) **आकस्मिकता निधि लोक लेखा और अन्य लेन-देनों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि में वर्ष के दौरान परिवर्तनों, निधि को विनियोजन, व्यय, प्रतिपूरित राशि इत्यादि को दर्शाता है। यह लोक लेखा में लेन-देनों का विस्तृत विवरण भी दर्शाता है।

(19) **उद्दिष्ट शेषों के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित निधियों से किए गए निवेश को दर्शाता है।

खण्ड 2 के भाग-III में परिशिष्ट सम्मिलित हैं जो वेतन, राज सहायता, संस्थावार एवं योजनावार सहायता-अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के विस्तृत विवरण, वृहद् केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं इत्यादि को दर्शाते हैं। लेखे में यह विवरण योजना शीर्ष और उसके नीचे के स्तर (लघुशीर्ष स्तर के नीचे) जो वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। ब्यौरे वार सूची के लिये कृपया अनुक्रमणिका में खण्ड-1 या 2 को देखें। परिशिष्टों के साथ पठित उक्त विवरण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

ग-त्वरित गणना पत्रक :

विवरणों के निहितार्थ के त्वरित संदर्भ हेतु नीचे दी गई तालिका (सारणी) को देखें। महत्वपूर्ण मानदण्डों के संदर्भ में संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण नीचे दर्शाये गए हैं। नीचे दिखाये गए परिशिष्टों की संख्या पूर्ण नहीं है।

भापदण्ड	संक्षिप्त विवरण खण्ड-1	विस्तृत विवरण खण्ड-2	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त सहायता सहित)	2,3	11	
राजस्व व्यय	2,4	12	2 (वेतन), 3 (राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2	8	4
पूँजी प्राप्ति	2,3	11	
पूँजी व्यय	1,2,4	5,13,17	
सरकार द्वारा दिए गये कर्जे तथा उधार	1,2,7	16,17	
ऋण स्थिति/उधार	1,2,6	15,17	
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश		14	
रोकड़	1,2		1, 8
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1,2	17, 18, 19	8
गारंटी		9	
योजनाएं			5 (वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), 6, 7

घ- आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन :

कुछ निश्चित लेन-देन पुस्तकीय समायोजन प्रकृति के हैं तथा वास्तविक नकद लेन-देन को प्रस्तुत नहीं करते जैसा नीचे उल्लेख किया गया है। संबंधित विवरण पत्रकों में विशिष्ट विवरण 'लेखों पर टिप्पणी' तथा पाद टिप्पणी के रूप में उल्लिखित किये गए हैं।

(i) वेतन से की गई समस्त कटौतियों के समायोजन (सामान्य भविष्य निधि, दिये गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) जो पुस्तकीय समायोजन के माध्यम से क्रियात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभागों) को नामे कर राजस्व प्राप्तियों (उदाहरणार्थ सामान्य भविष्य निधि के अतिरिक्त कटौतियों/लोक लेखा (उदाहरणार्थ जी.पी.एफ.) में किये जाते हैं।

(ii) लोक लेखा के अंतर्गत यथा आपदा राहत निधि, आरक्षित निधियां, शोधन निधि इत्यादि निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन समेकित निधि को नामे कर किया जाता है।

(iii) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के जमा शीर्षों में जमा किया जाना है।

(iv) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना का वार्षिक समायोजन जहाँ राज्य सरकार की सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन 2049-ब्याज को नामे एवं 8009-सामान्य भविष्य निधि को जमा कर किया जाता है।

(v) कुछ निश्चित प्रकार के समायोजन जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार की ब्याज माफी योजना इसका प्रभाव राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण दोनों पर पड़ता है। जहाँ केन्द्रीय ऋण 0075-विविध सामान्य सेवा को जमा कर 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम को प्रति प्रविष्टि द्वारा अपलिखित किये जाते हैं।

1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ ₹ में)

परिसम्पत्तियाँ ¹	संदर्भ (अनुक्रमांक)		31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण-संख्या		
रोकड़				
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		परिशिष्ट-1	2.67	2.67
(ii) विभागीय शेष		18	13.54	13.38
(iii) स्थाई अग्रदाय		18	0.79	0.77
(iv) नकद शेष निवेश		18	55,59.72	29,29.46
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (अगर शेष जमा हो तो ऋणात्मक चिह्न के साथ यहाँ शामिल हो)		परिशिष्ट-1	(-)20,43.74 ^(का)	(-)8,40.94
(vi) चिह्नित निधियों से निवेश ²		19	3,79.95	3,16.75
पूँजीगत व्यय				
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		14	1,16,86.28	96,43.34
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		5	4,74,35.42	4,15,75.18
समेकित निधि (अनापूरित)			--	--
कर्ज तथा उधार		16	1,14,23.66	76,30.96
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		18	12.80	14.20
उचंत तथा विविध शेष³			--	--
प्रेषण शेष		18	2,29.85	2,60.89
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य⁴			--	--
योग			7,47,00.94	6,15,46.66

¹ परिसम्पत्तियाँ तथा देयताओं की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं कृपया टिप्पणी 1(ii) 'लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत भी देखें।

² कंपनियों इत्यादि के शेयरों के अंतर्गत उद्दिष्ट निधियों में से किये गए निवेश पूँजीगत व्यय में हटाए गए हैं तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेशों में शामिल किये गए हैं।

³ इस विवरण में पंक्ति मद 'उचंत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' 'विभागीय शेष' तथा 'स्थाई अग्रिम' जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन लेखों में अन्यत्र इन्हें इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।

⁴ प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है।
(का) पृष्ठ 29 पर पाद टिप्पणी (का) देखें।

विवरण संख्या 1 –समाप्त

(करोड़ ₹ में)

देयताएं	संदर्भ (अनुक्रमांक)		31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण-संख्या		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आंतरिक ऋण		6	4,24,61.81	3,71,41.63
(ii) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			1,03,78.95	94,90.67
योजनेतर कर्ज		6	61.54	65.66
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये कर्ज		6	1,01,95.69	92,91.42
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये कर्ज		6	19.58	22.33
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिये कर्ज		6	1,00.26	1,09.38
अन्य कर्ज		6	1.88	1.88
आकस्मिकता निधि (निकाय)		18	1,00.00	1,00.00
लोक लेखा से संबंधित देयताएं			1,54,96.43	1,42,18.95
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि		15	84,50.62	80,40.19
(ii) जमा		18	48,40.24	41,37.03
(iii) आरक्षित निधियाँ		17	21,00.88	19,39.67
(iv) प्रेषण शेष			--	--
(v) उच्यंत तथा विविध शेष		18	1,04.69	1,02.06
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य			62,63.75[@]	5,95.41[@]
योग			7,47,00.94	6,15,46.66

[@] सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006-07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश 9.19 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।

2: प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2009-10	2008-09		2009-10	2008-09
भाग- I समेकित निधि					
अनुभाग- अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ	4,13,94.70	3,35,77.21	राजस्व व्यय	3,58,96.90	2,95,13.88
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)	1,72,72.81	1,36,14.05	वेतन ¹	1,00,06.97	79,43.35
करेतर राजस्व			राजसहायता ¹	20,32.89	1,32.22
			सहायता अनुदान ²	(घ) 80,37.41	85,00.29
ब्याज प्राप्तियाँ	12,84.03	1,63.28	सामान्य सेवाएं		
अन्य	50,98.01	31,79.58	ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	44,54.30	41,91.99
योग	63,82.04	33,42.86	पेंशन	30,77.18	24,33.05
संघ करों/शुल्कों का भाग	1,10,76.98	1,07,66.59	अन्य	18,80.63	14,41.58
			योग	94,12.11	80,66.62
			सामाजिक सेवाएं	30,03.00	18,48.62
			आर्थिक सेवाएं	8,54.62	12,48.34
केन्द्र सरकार से अनुदान	66,62.87	58,53.71	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषण @	25,49.90	17,74.44
राजस्व घाटा			राजस्व आधिक्य	+ 54,97.80	+ 40,63.33
अनुभाग- ब : पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियाँ	21.69	24.00	पूंजीगत परिव्यय	79,24.87	67,13.15
			वेतन ¹	1,66.15	1,33.82
			सामान्य सेवाएं	1,19.55	1,24.88
			सामाजिक सेवाएं	11,77.76	12,95.08
			आर्थिक सेवाएं	64,61.41	51,59.37
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियाँ	23.37	53.62	कर्ज तथा अग्रिम संवितरित	38,16.88	18,61.46
			सामान्य सेवाएं	44.72	27.15
			सामाजिक सेवाएं	2,01.48	2,34.39
			आर्थिक सेवाएं	35,70.67	15,99.82
			अन्य	0.01	0.10
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	86,02.51	65,52.97	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	23,94.05	19,61.01
आंतरिक ऋण# (बाजार कर्ज इत्यादि)	(क)72,57.97	(ख)53,99.29	आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज इत्यादि)	(ग)19,37.79	(घ)15,16.15

¹ वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, सभी क्षेत्रों की एकत्रित की गई हैं। इस विवरण पत्रक के सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं क्षेत्रों के व्यय के अंतर्गत वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी-2 में वर्गीकृत) को शामिल नहीं किया गया है।

² सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को दी गई सहायता अनुदान जिसे अलग मद के रूप में ऊपर दर्शाया गया है। ये अनुदान करों तथा शुल्कों की स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषण, जिन्हें @ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषण के अलग मद के रूप में दर्शाया गया है, से भिन्न है।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (NSSF) से संबंधित (क) 8,10.00 करोड़ ₹ (ख) 70.77 करोड़ ₹ (ग) 3,18.18 करोड़ ₹ (घ) 1,96.73 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।

(घ) मुख्यशीर्ष 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषण को छोड़कर लघुशीर्ष 191, 192, 193, 196, 197, 198 तथा उद्देश्य शीर्ष 42 सहायता अनुदान का योग सम्मिलित है।

विवरण संख्या 2 – समाप्त

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2009-10	2008-09		2009-10	2008-09
भारत सरकार से कर्ज	13,44.54	11,53.68	भारत सरकार से कर्ज	4,56.26	4,44.86
अन्तर्राज्यीय परिषोधन	2.76	0.79	अन्तर्राज्यीय परिषोधन	2.78	0.74
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि	5,00,45.03	4,02,08.59	कुल व्यय समेकित निधि	5,00,35.48	4,00,50.24
समेकित निधि में घाटा	-	-	समेकित निधि में आधिक्य	9.55	1,58.35
भाग- II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	.	.	आकस्मिकता निधि	.	.
भाग- III लोक लेखा ³					
लघु बचतें	15,11.72	13,87.23	लघु बचतें	11,00.23	11,83.52
आरक्षित एवं शोधन निधि	7,63.94	6,00.38	आरक्षित एवं शोधन निधि	5,03.08	5,87.38
जमा	90,46.41	76,45.02	जमा	83,43.19	74,08.26
अग्रिम	2,87.90	2,65.84	अग्रिम	2,86.50	2,65.94
उचंत एवं विविध	12,46,18.15	8,15,71.11	उचंत एवं विविध ⁴	12,72,38.50	8,17,81.62
प्रेषण	92,86.11	91,17.10	प्रेषण	92,55.08	90,55.44
योग लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,55,14.23	10,05,86.68	योग लोक लेखा संवितरण	14,67,26.58	10,02,82.16
लोक लेखा में घाटा	12,12.35	-	लोक लेखा में आधिक्य	-	3,04.52
प्रारंभिक रोकड़ शेष	(-) 8,38.27	(-)13,01.14	अंतिम रोकड़ शेष	(-) 20,41.07	(-)8,38.27
रोकड़ शेष में वृद्धि	-	4,62.87	रोकड़ शेष में कमी	12,02.80	-

³ विवरण हेतु कृपया खंड- 2 का विवरण संख्या -18 देखें।

⁴ 'उचंत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673 इत्यादि) सम्मिलित हैं।

3: प्राप्तियों का विवरण

I- समेकित निधि

	विवरण	(करोड़ ₹ में) वास्तविक	
		2009.10	2008.09
क	कर राजस्व		
क.1	स्वयं का कर राजस्व	1,72,72.81	1,36,14.05
	भू-राजस्व	1,80.03	3,38.84
	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	17,83.15	14,79.29
	राज्य उत्पाद शुल्क	29,51.95	23,01.95
	विक्रय कर	77,23.82	68,42.99
	माल तथा यात्रीकर	13,32.88	13,32.57
	वाहन कर	9,19.01	7,72.56
	अन्य	23,81.97	5,45.85
क.2	करों के शुद्ध आगम का भाग	1,10,76.98	1,07,66.59
	निगम कर	45,58.66	35,30.66
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	25,39.36	22,16.97
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	--	(-)0.22
	धन कर	10.31	3.36
	सीमा शुल्क	15,50.31	20,58.09
	संघ उत्पाद शुल्क	12,48.79	17,95.02
	सेवा कर	11,69.56	11,63.04
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-) 0.01	(-)0.33
	अन्य	--	--
	योग- क	2,83,49.79	2,43,80.64

विवरण संख्या 3 –जारी

	विवरण	(करोड़ ₹ में) वास्तविक	
		2009-10	2008-09
ख	करेतर राजस्व		
	ब्याज प्राप्तियाँ	12,84.03	1,63.28
	विविध सामान्य सेवाएं	@3,99.12	3,80.17@
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	15,90.47	13,61.08
	बिजली	10,82.08	0.02
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8,02.00	6,85.60
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	7,45.00	3,18.97
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	80.94	55.58
	लाभांश तथा लाभ	49.75	69.05
	मध्यम सिंचाई	44.52	23.93
	पुलिस	41.98	23.63
	अन्य सामाजिक सेवाएं	34.09	32.18
	लोक निर्माण कार्य	27.37	21.74
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	22.99	12.83
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	21.84	20.88
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	18.47	8.04
	फसल कृषि-कर्म	16.14	15.51
	आवास	14.56	14.41
	वृहद् सिंचाई	12.23	13.15
	जलपूर्ति तथा सफाई	11.84	6.14
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.98	8.99
	उद्योग	9.77	6.51
	श्रम तथा रोजगार	9.49	11.28
	सहकारिता	9.08	13.25
	लघु सिंचाई	7.76	8.07
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6.93	39.11
	शहरी विकास	5.00	3.39
	सड़क तथा सेतु	4.22	4.61
	लोक सेवा आयोग	3.69	3.01
	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.59	4.67
	जेल	3.17	2.55
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.03	3.77
	पशुपालन	2.92	3.08
	मछली पालन	2.10	1.93
	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.92	0.78

@ बारहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अधीन भारत सरकार से डी.सी.आर.एफ.के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ₹ 3,63.06 करोड़ सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 3 –जारी

		(करोड़ ₹ में) वास्तविक	
विवरण		2009-10	2008-09
ख	करेतर राजस्व		
	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	0.44	0.75
	सूचना तथा प्रचार	0.29	0.35
	परिवार कल्याण	0.19	0.56
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.03	--
	पेट्रोलियम	0.01	0.01
	योग- ख	63,82.04	33,42.86

II. भारत सरकार से अनुदान

		(करोड़ ₹ में) वास्तविक	
विवरण		2009-10	2008-09
ग	अनुदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
	योजनेतर अनुदान		
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	11,49.14	9,77.96
	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत निधि के लिये अंशदान हेतु अनुदान	--	--
	राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अनुदान	--	--
	अन्य अनुदान	3,83.73	36.83
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान		
	एक मुक्त (ब्लॉक) अनुदान (जिसमें से ई ए पी)	3,57.16	--
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	1,63.83	1,66.14
	केन्द्रीय सड़क निधि के लिये अनुदान	--	--
	अन्य अनुदान	25,81.45	26,57.64

विवरण संख्या 3 –जारी

		(करोड़ ₹ में) वास्तविक	
विवरण		2009-10	2008-09
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	3,92.57	2,00.60
	केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	16,34.99	18,14.54
	विशेष योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	--	--
	योग- ग	66,62.87	58,53.71
	योग- राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग)	4,13,94.70	3,35,77.21

III पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ

		(करोड़ ₹ में) वास्तविक	
विवरण		2009.10	2008.09
घ	पूंजीगत प्राप्तियाँ		
	विनिवेश आगम	21.69	24.00
	अन्य	--	--
	योग- घ	21.69	24.00
ङ	लोक ऋण प्राप्तियाँ		
	आंतरिक ऋण	72,57.97	53,99.29
	बाजार कर्ज	58,21.00	44,95.25
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियाँ	--	19.01
	बॉण्ड	--	--
	वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	6,03.65	7,90.41
	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	8,10.00	70.77
	अन्य कर्ज	23.32	23.85
	केन्द्र सरकार से कर्ज और पेशगियाँ	13,44.54	11,53.68
	योजनेतर कर्ज	--	--

विवरण संख्या 3 –समाप्त

			(करोड़ ₹ में) वास्तविक	
			2009-10	2008-09
		राज्य योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	13,44.54	11,53.68
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	--	--
		केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	--	--
		अन्य कर्ज	--	--
	योग- ड		86,02.51	65,52.97

च	राज्य सरकार द्वारा दिये गए कर्ज और उधार (वसूलियाँ) ¹		23.37	53.62
छ	अन्तर्राज्यीय परिषोधन		2.76	0.79
	योग- समेकित निधियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)		5,00,45.03	4,02,08.59

¹ विवरण, विवरण संख्या-7 तथा 16 खण्ड-2 में दिये गए हैं।

**4: व्यय का विवरण
(समेकित निधि)**

क. कार्य आधारित व्यय

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्ज एवं उधार	योग	
क	सामान्य सेवाएं					
	राज्य के अंग					
क.1	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	33.87			33.87	
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	4.73			4.73	
	मंत्रिपरिषद	28.39			28.39	
	न्याय प्रशासन	2,47.03			2,47.03	
	निर्वाचन	54.59			54.59	
	राजकोषीय सेवाएं					
क.2	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.43			0.43	
	भू-राजस्व	3,49.27			3,49.27	
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	2,07.07			2,07.07	
	संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण					
	राज्य उत्पाद शुल्क	8,08.47			8,08.47	
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	89.55			89.55	
	वाहन कर	35.24			35.24	
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1,09.77			1,09.77	
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.22			2.22	
	ब्याज अदायगियाँ	44,54.30			44,54.30	
	प्रशासनिक सेवाएं					
	क.3	लोक सेवा आयोग	5.37			5.37
		सचिवालय-सामान्य सेवाएं	86.82			86.82
जिला प्रशासन		2,50.86			2,50.86	
खजाना तथा लेखा प्रशासन		68.57			68.57	
पुलिस		16,42.91	20.95		16,63.86	
जेल		1,17.62			1,17.62	
लेखन सामग्री तथा मुद्रण		36.64	0.43		37.07	
लोक निर्माण-कार्य		1,86.02	98.17		2,84.19	
अन्य प्रशासनिक सेवाएं		1,15.70			1,15.70	

विवरण संख्या 4 –जारी

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्ज एवं उधार	योग
क.4	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	30,77.18			30,77.18
	विविध सामान्य सेवाएं	1.16		44.72	45.88
	योग- सामान्य सेवाएं	1,20,13.78	1,19.55	44.72	1,21,78.05
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति^(क)				
	सामान्य शिक्षा	60,23.69	2,30.12	4.00	62,57.81
	तकनीकी शिक्षा	1,45.04			1,45.04
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	55.77			55.77
	कला एवं संस्कृति	43.26			43.26
ख.2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	13,80.83	78.56		14,59.39
	परिवार कल्याण	2,02.16			2,02.16
ख.3	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
	जलपूर्ति तथा सफाई	4,57.78	4,64.72	19.96	9,42.46
	आवास	1,85.76	28.11	-	2,13.87
	शहरी विकास	4,97.81	68.74	1,77.52	7,44.07
ख.4	सूचना तथा प्रसारण				
	सूचना तथा प्रचार	68.35			68.35
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13,12.79	2,58.40		15,71.19
ख.6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
	श्रम तथा रोजगार	1,18.59			1,18.59
ख.7	समाज कल्याण तथा पोषण				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	15,46.26	47.03		15,93.29
	पोषण	5,54.15			5,54.15
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	3,43.71			3,43.71
ख.8	अन्य				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	10.57	2.08		12.65
	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	15.33			15.33
	योग- सामाजिक सेवाएं	1,29,61.85	11,77.76	2,01.48	1,43,41.09
ग	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप				
	फसल कृषि-कर्म	8,36.81		0.04	8,36.85
	मृदा तथा जल संरक्षण	45.86			45.86

(क) पूंजीगत लेखा तथा कर्ज और पेशगियों के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति नामक एकल मुख्य शीर्ष है।

विवरण संख्या 4 –जारी

(करोड़ ₹ में)

विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्ज एवं उधार	योग
पशुपालन	3,11.84	0.43		3,12.27
डेरी विकास	--			--
मछली पालन	30.30	0.20	0.01	30.51
वानिकी तथा वन्य प्राणी	9,11.73	21.31		9,33.04
खाद्य भंडार तथा भाण्डागार	5,43.26	2.23		5,45.49
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	59.11			59.11
सहकारिता	1,30.25	3.00	6.95	1,40.20
अन्य कृषि कार्यक्रम	--			
ग.2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	4,85.91			4,85.91
ग्राम रोजगार	3,56.70			3,56.70
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14,23.96	4,33.36		18,57.32
ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	84.27	13,76.99		14,61.26
मध्यम सिंचाई	3,47.53	2,23.98		5,71.51
लघु सिंचाई	74.08	5,20.52		5,94.60
कमान क्षेत्र विकास	1.63	13.73		15.36
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	-	6.90		6.90
ग.5 ऊर्जा				
बिजली	16,88.78	19,76.43	35,63.67	72,28.88
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत				
ग.6 उद्योग तथा खनिज				
ग्राम तथा लघु उद्योग	1,32.43	16.71		1,49.14
उद्योग	76.37			76.37
अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग	1,42.64	0.05		1,42.69
अलौह खनन तथा सीमेण्ट उद्योग	--			
अभियांत्रिकी उद्योग	--			
उपभोक्ता उद्योग	--			
अन्य उद्योग	--	1.00		1.00
उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	--	5.00		5.00

विवरण संख्या 4 –जारी

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्ज एवं उधार	योग
ग.7	परिवहन				
	नागर विमानन	0.24	5.32		5.56
	सड़क तथा सेतु	5,54.06	19,55.94		25,10.00
	सड़क परिवहन	--			
	अन्य परिवहन सेवाएं	--			
ग.9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	45.60	8.50		54.10
ग.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.32			23.32
	पर्यटन	14.19	55.59		69.78
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	42.57			42.57
	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान				
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.93	0.37		8.30
	योग- आर्थिक सेवाएं	83,71.37	66,27.56	35,70.67	1,85,69.60
घ	कर्ज, सहायता अनुदान तथा अंशदान				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषन	25,49.90			25,49.90
ङ	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि				
	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			0.01	0.01
	विविध कर्ज				
च	लोक ऋण				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			19,37.79	19,37.79
	केन्द्र सरकार से कर्ज और पेषगिर्यौ			4,56.26	4,56.26
	योग- कर्ज, सहायता अनुदान तथा अंशदान	25,49.90		23,94.06	49,43.96
छ	अन्तर्राज्यीय परिषोधन				
	योग- समेकित निधि व्यय	3,58,96.90	79,24.87	62,13.71	5,00,35.48

विवरण संख्या 4 –जारी

ख : प्रकृति अनुसार व्यय

(करोड़ ₹ में)

व्यय का उद्देश्य	2009-10			2008-09		
	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
सहायक अनुदान	^(क) 1,06,27.68	^(ख) 51.08	1,06,78.76	^(क) 1,02,74.73	^(ख) 45.68	1,03,20.41
वेतन	1,00,06.97	1,66.15	1,01,73.12	79,43.35	1,33.82	80,77.17
मुख्य निर्माण कार्य	52.99	46,99.22	47,52.21	47.99	45,03.68	45,51.67
ब्याज/लाभांश का भुगतान	39,32.23	0.00	39,32.23	36,79.07	0.00	36,79.07
पेंशन तथा पेंशन योग्य लाभ	30,70.41	0.00	30,70.41	24,17.82	0.21	24,18.03
निवेश	0	20,64.63	20,64.63	0.00	8,22.58	8,22.58
राजसहायता	^(ग) 17,76.04	0.00	17,76.04	^(ग) 1,08.39	0.00	1,08.39
सामग्री एवं आपूर्ति	16,80.40	9.50	16,89.90	7,00.77	10.67	7,11.44
लघु निर्माण कार्य	97.51	7,37.74	8,35.25	1,03.56	7,91.55	8,95.11
अन्य प्रभार	3,86.49	2,14.48	6,00.97	7,48.31	2,93.77	10,42.08
अनुरक्षण	5,59.94	12.76	5,72.70	6,86.12	5.22	6,91.34
पेपेवर सेवाओं के लिये भुगतान	5,51.51	11.47	5,62.98	3,92.13	14.22	4,06.35
अंतर लेखा अंतरण	5,37.02	0.00	5,37.02	5,97.78	0.00	5,97.78
मजदूरी	4,95.73	9.29	5,05.02	4,57.54	12.16	4,69.70
षिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	4,90.99	0.01	4,91.00	3,47.97	0.01	3,47.98
कार्यालयीन व्यय	4,05.54	4.31	4,09.85	3,66.57	4.10	3,70.67
पी.ए.ओ. निर्माण कार्य तथा गृह निर्माण कार्य मंत्रालय	3,39.39	0.00	3,39.39	2,79.18	0.00	2,79.18
यात्रा भत्ता	1,31.03	4.90	1,35.93	1,20.40	5.83	1,26.23
मषीनरी	71.22	26.25	97.47	77.29	4.86	82.15
विज्ञापन तथा प्रचार	66.38	6.70	73.08	66.24	4.75	70.99
कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	58.30	0.00	58.30	57.02	0.00	57.02
परीक्षा तथा प्रशिक्षण	40.44	3.40	43.84	42.17	1.89	44.06
अंशदान	14.34	27.73	42.07	25.61	32.83	58.44

(क) आंकड़े विवरण संख्या-2 से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन स्वरूप विवरण संख्या 2 में सहायता अनुदान के आंकड़ों में लघुशीर्ष/उद्देश्य शीर्ष का योग शामिल है। जैसा कि पृष्ठ-7 पर पाद टिप्पणी (य) में दिया गया है।

(ख) मुख्यालय के निर्देशानुसार यह विवरण संख्या 2 में शामिल नहीं की गई है। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत जी.आई.ए. में प्रावधान विषयक प्रकरण राज्य सरकार को संप्रेषित किया गया है।

(ग) आंकड़े विवरण संख्या 2 में दर्शित राज सहायता के आंकड़ों से मेल नहीं खाते, क्योंकि विवरण संख्या 2 में दर्शित राज सहायता को परिशिष्ट-III, जिसे राज्य सरकार द्वारा पुष्ट किया गया है, से लिया गया है।

विवरण संख्या 4 –समाप्त

ख : प्रकृति अनुसार व्यय – समाप्त

(करोड़ ₹ में)

व्यय का उद्देश्य	2009-10			2008-09		
	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
भूमि तथा भवन का क्रय	2.31	39.70	42.01	3.96	32.66	36.62
सर्वेक्षण, जाँच तथा डिजाइन एवं डी.पी.आर.स. का निर्माण	0.58	40.75	41.33	1.07	31.78	32.85
उप संचालक लेखा पी.एण्ड टी. भोपाल	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
मोचन निधि	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
क्षतिपूर्ति	17.64	0.01	17.65	49.97	1.09	51.06
मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	15.83	0.00	15.83	9.13	0.00	9.13
उचंचत	15.13	0.09	15.22	20.78	0.86	21.64
पुरुस्कार, पारितोषिक, इनाम	14.35	0.00	14.35	9.37	0.00	9.37
वाहनों का क्रय	13.92	0.09	14.01	15.56	0.00	15.56
वसूलियाँ	(-) 2,11.60	(-) 2,07.09	(-) 4,18.69	(-) 6,81.76	(-) 42.22	(-) 7,23.98
अन्य	5,61.44	1.70	5,63.14	5,45.79	1.15	5,46.94
योग	3,58,96.90	79,24.87	4,38,21.77	2,95,13.88	67,13.15	3,62,27.03

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. विषिष्ट लेखांकन नीतियों का सारांश

(i) **अस्तित्व एवं लेखांकन अवधि** :- ये लेखे 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि के मध्यप्रदेश सरकार के लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं।

(ii) **लेखांकन का आधार** :- कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद सहित लेखांकन अवधि के दौरान लेखे वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। परिसम्पत्तियाँ ऐतिहासिक मूल्य पर मूल्यांकित की गई हैं तथा शासकीय निवेश आदि ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाये गये हैं। भौतिक परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास अथवा परिषोधन नहीं किया गया है। जीवन पर्यन्त तक की भौतिक परिसम्पत्तियों की हानि भी विस्तारित तथा मान्य नहीं की गई है।

सरकार के पेंपनीय दायित्व अर्थात् कर्मचारियों की वर्तमान तथा पूर्व की सेवाओं तथा पूर्व की सेवाओं के संदर्भ में निवृत्ति लाभों के भुगतान के दायित्व लेखाओं में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, तथापि लेखा अवधि के दौरान वितरित निवृत्ति लाभों को लेखाओं में प्रक्षेपित किया गया है।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर पेंपन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 30,77.18 करोड़ ₹ (कुल राजस्व व्यय के 8.57%) था, तथापि 01.01.2005 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के पात्र हैं। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के लिए कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंश के रूप में 27.96 करोड़ ₹ शीर्ष 8342-अन्य जमा-117- परिभाषित पेंशन अंशदान योजना के अन्तर्गत जमा किए गए हैं। इन लेखों में 31 मार्च 2010 को राज्य सरकार का दायित्व 83.24 करोड़ ₹ था।

(iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे गए हैं** :- सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा ₹ में संधारित किए गए हैं।

(iv) **लेखाओं के प्रपत्र** :- संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रपत्रों पर संघ एवं राज्य सरकार में लेखे रखे जाते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रपत्र' व्यापक अर्थों में है जिसमें न केवल विस्तारित प्रपत्र जिनमें लेखे रखे जाते हैं अपितु उपयुक्त शीर्षों के चयन के आधार जिनमें लेन-देन को वर्गीकृत किये जाने का निर्धारण सम्मिलित है।

(v) **राजस्व एवं पूंजी के मध्य वर्गीकरण** :- राजस्व व्यय प्रकृति रूप में आवधिक प्रकृति का है जो राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय स्थायी प्रकृति की वस्तुओं की टोस परिसम्पत्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। सहायक अनुदान पर किया गया व्यय प्रदाता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में अंकित किया जाता है। प्राप्तिकर्ता के लेखों में इन्हें राजस्व प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है।

2. बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित 8 परिशिष्टों में से हमने अधोलिखित पांच परिशिष्ट बना लिए हैं:-

- (i) वर्ष 2009-10 के दौरान विभागों द्वारा संघटित वेतन पर व्यय।
- (ii) वर्ष 2009-10 के दौरान राज सहायता के वितरण पर व्यय।
- (iii) मुख्य शीर्ष 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण एवं 6004-केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम की परिपक्वता स्थिति (विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक)।
- (iv) वेतन एवं गैर वेतन अंशों के विभाजन सहित संधारण व्यय।
- (v) पेंशन भोगियों की संख्या से संबंधित जानकारी वित्त लेखे 2009-10 में पाद टिप्पणी के रूप में सम्मिलित की गई है।

अवशिष्ट तीन परिशिष्टों में से दो अर्थात् (i) भविष्य की वचनबद्ध देयताओं के आंकड़े एवं (ii) भविष्य के नगद प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं पर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिये गए मुख्य निर्णयों का प्रभाव इस वर्ष सम्मिलित नहीं किये गए हैं क्योंकि जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इन प्रपत्रों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है तथा तीसरे अर्थात् (iii) मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय परिसम्पत्तियों से संबंधित जानकारी विवरण संख्या-1 में सम्मिलित है।

3. मुख्य शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत प्रविष्टि :- 18 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत ₹ 31,92.14 करोड़ की राशि संबंधित मुख्य शीर्षों की कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक को परिशिष्ट में दिया गया है। लेखों के 11 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 800- अन्य व्यय (सरकार के कलापों को प्रदर्शित करने वाला) के अधीन संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अभिलिखित कुल व्यय के 50

प्रतिशत से अधिक भाग की 33,84.84 करोड़ ₹ की राशि वर्गीकृत की गई थी। मुख्य शीर्ष 2217- शहरी विकास, 2801- बिजली, 4700- वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय आदि जिनमें पर्याप्त व्यय को अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है परिशिष्ट में दिए गए हैं। मुख्य योजनाएं यथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन, टेरिफ अनुदान, नहर तथा संलग्न कार्य, मध्य प्रदेश विधान सभा क्षेत्र विकास योजना आदि को वित्त लेखों में पृथक से नहीं दर्शाया गया है, परिशिष्ट में दिया गया है। यद्यपि व्यय के लिए प्रावधान का विवरण उप शीर्ष स्तर (योजना) पर बजट में तथा राज्य सरकार के लेखों से संबंधित तदनुसूची शीर्षवार विनियोग लेखों में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदन में वृहद् पारदर्शिता हेतु गहन समीक्षा की गयी है तथा राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराया गया है।

4. असमायोजित सार आकस्मिक देयक (ए.सी.बिल) का अस्तित्व :- आहरण एवं संवितरण अधिकारी सार आकस्मिक देयक तैयार कर सेवा शीर्ष को विकलित कर धनराशि आहरण हेतु अधिकृत हैं तथा एक निश्चित समयावधि में (आगामी माह की 25 तारीख तक) सभी प्रकरणों में विस्तृत आकस्मिक देयक (अंतिम व्यय के समर्थन में देयक) प्रस्तुत करने की उनसे अपेक्षा की जाती है। विगत 3 वर्षों में महालेखाकार कार्यालय में विस्तृत देयकों से प्राप्त नहीं होने के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :

31 मार्च 2010 को विस्तृत देयक प्राप्त न होने के कारण लंबित सार आकस्मिक देयक :-

वर्ष	लंबित सार आकस्मिक देयक	लंबित राशि (करोड़ ₹ में)
2007-08 तक	1259	20.27
2008-09	29	0.72
2009-10	55	0.11
योग	1343	21.10

5. प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र :- सशर्त अनुदानों के मामले में संस्वीकृति दाता प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों के उचित उपयोग के बारे में एक औपचारिक उपयोग प्रमाण-पत्र महालेखाकार (ले. एवं हक.) को भेजना चाहिए। गत तीन वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	सम्मिलित राशि (करोड़ ₹ में)
2007-08 तक	20363	67,41.15
2008-09	10270	12,45.88
2009-10	8139	13,96.40

6. पुस्तकीय समायोजन:- कतिपय लेन-देन पुस्तकीय समायोजन की प्रकृति के हैं एवं वास्तविक नकद लेन-देन नहीं दर्शाते, निम्नलिखित है:-

(अ) आवधिक समायोजन :-

(करोड़ ₹ में)

स.क.	आवधिक समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
		से	अन्तर्गत		
1	म.प्र.ग्रामीण विकास निधि का आवर्धन	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	8229-विकास एवं कल्याण निधि	38.32	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर को निधि में अंतरित किया गया।
2	पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि का आवर्धन	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	8229-विकास एवं कल्याण निधि	1,12.80	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर तथा स्टाम्प शुल्क को निधि में अंतरित किया गया।
3	विद्युत विकास निधि का आवर्धन	2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8229-विकास एवं कल्याण निधि	99.91	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत ऊर्जा विकास उपकर को निधि में अंतरित किया गया।
4	आपदा राहत निधि का आवर्धन	2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	2,85.88	भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान एवं राज्यांश को निधि में अंतरित किया गया।
5	सा.भ.नि. पर ब्याज का समायोजन	2049-ब्याज अदायगियाँ	8009-राज्य भविष्य निधि	5,49.46	सा.भ.नि. पर ब्याज का वार्षिक समायोजन।

मद क्रमांक 1 से 4 के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर समेकित निधि को नामे कर अंतरण प्रविष्टियाँ तैयार की गई है।

लेखों पर टिप्पणियाँ —जारी

(ब) अन्य समायोजन :-

(करोड़ ₹ में)

स.क्र.	अन्य समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
		से	अन्तर्गत		
1	ऋण समेकिकीकरण तथा राहत सुविधा का समायोजन	6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0075—विविध सामान्य सेवाएं	3,63.06	भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर समायोजन किया गया।
2	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण	2203—तकनीकी शिक्षा	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	20.00	समायोजन मुख्यतः संशोधित वेतन, नगरीय जल प्रदाय सुधार योजना, गरीबों आदि के लिए नगरीय सेवा कार्यक्रम के भुगतान से संबंधित हैं।
3	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण	2217—शहरी विकास	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	33.45	
4	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण	2403—पशु पालन	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	24.21	
5	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण	6217—शहरी विकास के लिए कर्ज	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	11.00	
6	अन्य जमा को अंतरण	2929—भू—राजस्व	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	99.28	
7	अन्य जमा को अंतरण	2202—सामान्य शिक्षा	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	61.98	समायोजन मुख्यतः भू—अभिलेख के अद्यतीकरण, आदर्श विद्यालयों तथा बालिका छात्रावासों की स्थापना,
8	अन्य जमा को अंतरण	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	27.83	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण एवं सुदृढीकरण एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत से संबंधित हैं।
9	अन्य जमा को अंतरण	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	90.59	

7. निधियों का व्यक्तिगत जमा लेखों को अंतरण:- व्यक्तिगत जमा लेखों के अंतरण को राज्य के समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्ष) में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि सरकार विशेष प्रयोजनों हेतु राशि जमा करने हेतु व्यक्तिगत जमा लेखे खोलने हेतु अधिकृत है। प्रशासकों को चाहिए कि वे वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे लेखों को संवरित करें तथा अव्ययित शेषों को सरकारी लेखों में अंतरित करें। 2009-10 के दौरान व्यक्तिगत जमा लेखे/अन्य जमा को अंतरित एवं शासकीय लेखे में वापस अंतरित राशियों की स्थिति निम्नानुसार है जिसमें से कुछ उल्लेखनीय मदों को सारणी 6(ब) में दर्शाया गया है:-

(करोड़ ₹ में)

106—व्यक्तिगत जमा को अंतरित राशि	1,07,56.76
800—अन्य जमा को अंतरित राशि	3,97.94
शासकीय लेखे को वापस अंतरित राशि	निरंक

(*) लेन-देनों की मुख्य प्रकृति, संशोधित वेतन, नगरीय जल प्रदाय सुधार योजना, गरीबों के लिए नगरीय सेवा कार्यक्रम आदि के भुगतान की है।

लेखों पर टिप्पणियाँ —जारी

8. प्राप्तियों तथा व्यय का पुनर्मिलान :- सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को चाहिए कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय का महालेखाकार के लेखों में दर्ज राशि के साथ पुनर्मिलान करें। यह पुनर्मिलान, सरकार के कुल व्यय ₹ 15,25,96.33 करोड़ के विरुद्ध 3,11,07.14 करोड़ ₹ का अर्थात् 20.39 प्रतिशत तथा सरकार की कुल प्राप्तियों ₹ 2,38,20.48 करोड़ के विरुद्ध 1,20,49.04 करोड़ ₹ का अर्थात् 50.58 प्रतिशत, पूर्ण किया गया।

9. लेखाओं का संप्रेषण :-

महालेखाकार को भेजे जाने वाले कोषालय लेखाओं में औसत विलंब	महालेखाकार को भेजे जाने वाले लेखाओं में औसत विलंब	
	लोक निर्माण संभाग	वन संभाग
8 दिवस	5 दिवस	7 दिवस

10. महालेखाकार द्वारा 20,43.74 करोड़ ₹ (जमा) रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा) की गणना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2010 को रोकड़ शेष 19,95.25 करोड़ ₹ (नामे) सूचित की गई है। इस प्रकार दोनों राशियों के मध्य 48.49 करोड़ ₹ (जमा) का शुद्ध अंतर (60.61 करोड़ ₹ नामे तथा 1,09.10 करोड़ ₹ जमा) है। अंतर का मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा लेन-देनों का भारतीय रिजर्व बैंक को तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में गलत रिपोर्टिंग है। इस अंतर में से 48.88 करोड़ ₹ (शुद्ध जमा) (32.05 करोड़ ₹ नामे तथा 80.93 करोड़ ₹ जमा) अभिज्ञापित किये गए हैं तथा आगामी लेखा अवधि के दौरान लेखे में सम्मिलित किए जायेंगे।

11. राज्य सरकार जो कि ऐसी गारंटी जारी करने हेतु अधिकृत है से प्राप्त जानकारी के आधार पर विवरण संख्या 9 में गारंटी प्रतिवेदित की गई है। गारंटी मोचन निधि में वर्ष 2009-10 के दौरान 63.57 करोड़ ₹ की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2009-10 के अंत में 3,69.23 करोड़ ₹ शेष थे। 3,69.23 करोड़ ₹ का निधि में से निवेश किया गया। इन गारंटियों के संबंध में निधि से कोई राशि आपूरित नहीं की गई।

12. ऐसे कर्ज तथा निवेश जिनके विस्तृत लेखे राज्य सरकार के विभागों द्वारा संधारित किये जाते हैं, से पूर्ण जानकारी प्राप्ति हेतु सतत् प्रयास किए गए हैं।

13. आरक्षित निधियों की समीक्षा :- आरक्षित निधियों की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि कुछ आरक्षित निधियों में जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस) है, जो कि विगत 5 वर्षों से न तो उपयोगित की गई है और न ही निवेशित की गई है। इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। स्थिति निम्नानुसार है:-

आरक्षित निधि का नाम	31.03.2010 को शेष (करोड़ ₹ में)
8229-विकास एवं कल्याण निधि	
200-अन्य विकास एवं कल्याण निधि	
(i) पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि	0.59
(ii) म.प्र. ग्रामीण विकास निधि	0.20
(iii) क्षतिपूर्ति वानिकी निधि	0.03
(iv) वन विकास निधि	0.06

लेखों पर टिप्पणियाँ —जारी

14. वित्त लेखे उचंत तथा प्रेषण के शुद्ध शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष नामे तथा जमा के बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से जोड़कर निकाले जाते हैं।

मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशि की जानकारी नीचे दी जा रही है :-

मुख्य लघु उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

मुख्य/लघु शीर्ष	2007-08		2008-09		2009-10	
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
8658- उचंत लेखा	(करोड़ ₹ में)					
101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	0.62	16.40	-0.28	18.11	-0.11	22.30
निवल	नामे 15.78		नामे 18.39		नामे 22.41	
107-नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	-31.66	81.22	-30.96	78.56	-29.92	78.56
निवल	नामे 1,12.88		नामे 1,09.52		नामे 1,08.48	
110-रिजर्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	-6.04	18.73	-6.60	56.54	-6.60	98.86
निवल	नामे 24.77		नामे 63.14		जमा 1,05.46	
112-स्रोत पर कर कटौती (स्रोत) उचंत	37.24	--	33.20	--	72.11	--
निवल	जमा 37.24		जमा 33.20		नामे 72.11	
113-भविष्य निधि उचंत	-0.10	23.19	-0.22	22.54	-0.29	21.03
निवल	नामे 23.29		नामे 22.76		नामे 21.32	
129-सामग्री कय परिनिर्धारण उचंत लेखे	2,47.76	21.99	2,53.36	33.46	2,54.32	35.63
निवल	जमा 2,25.77		जमा 2,19.90		जमा 2,18.69	
8782-नकद प्रेषण						
102-लोक निर्माण प्रेषण	1,21,59.96	1,22,98.12	1,94,37.13	1,95,68.43	2,67,24.07	2,66,73.28
निवल	नामे 1,38.16		नामे 1,31.30		जमा 50.79	
103-वन प्रेषण	22,98.19	23,17.02	35,43.46	35,34.80	49,58.07	49,60.81
निवल	नामे 18.83		जमा 8.66		नामे 2.74	
110-विविध प्रेषण	8,74.63	10,00.32	13,72.53	14,91.46	18,63.90	19,69.26
निवल	नामे 1,25.69		नामे 1,18.93		नामे 1,05.36	

इन शीर्षों के अंतर्गत शेषों के निराकरण हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि उचंत एवं प्रेषण शीर्षों का निराकरण शासकीय विभागों/निर्माण तथा वन संभागों/केन्द्रीय मंत्रालय/भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जानकारी भेजने पर निर्भर है।

15. राज्य सरकार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (राज्य अंश) तथा राज्य योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा अभिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों इत्यादि को निधि प्रदान करती है। क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष में निधि सामान्यतः पूर्ण रूप से खर्च नहीं की जाती है, इन क्रियान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में अव्ययित शेष रह जाते हैं।

क्रियान्वयन एजेंसियों के खातों की अव्ययित शेष राशि जो कि सरकारी लेखों से अलग (बैंक लेखों में) रखी जाती है, सहज अभिनिश्चित नहीं होती है। इसलिये उस सीमा तक लेखों में दर्शाया सरकारी व्यय अंतिम नहीं होता है।

लेखों पर टिप्पणियों का अनुलग्नक

लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ तथा व्यय के अंतर्गत प्रविष्टि

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ (करोड़ ₹ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत प्राप्ति
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	15,90.47	15,91.38
0801	बिजली	10,82.08	10,82.08
0075	विविध सामान्य सेवाएं	^(x) 3,99.12	^(x) 3,92.70
0059	लोक निर्माण-कार्य	27.37	24.15
0055	पुलिस	41.98	21.09
0045	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	19.21	15.78
0852	उद्योग	9.77	9.81
0215	जलपूर्ति तथा सफाई	11.84	9.36
0700	मुख्य सिंचाई	12.23	8.31
0401	फसल कृषि कार्य	16.14	8.20
0702	लघु सिंचाई	7.76	7.76
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6.93	6.93
0217	शहरी विकास	5.01	5.23
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.59	2.53
0403	पशुपालन	2.92	2.05
0056	जेल	3.17	1.90
0405	मछली पालन	2.10	1.88
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.00	1.00
	योग	32,42.69	31,92.14

^(x) विवरण संख्या-11 में पाद टिपपणी ^(x) देखें।

लेखों पर टिप्पणियाँ —समाप्त
लेखों पर टिप्पणियों का अनुलग्नक—समाप्त

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय
		(करोड़ ₹ में)	
2801	बिजली	16,88.78	15,26.52
	(टैरिफ अनुदान, कृषकों के बकाया देयकों के निपटारे के लिये प्रोत्साहन अनुदान)		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	13,76.99	9,07.44
	(पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना, नहर तथा संलग्न कार्य इत्यादि)		
2217	शहरी विकास	4,97.81	3,56.65
	(गरीबों के लिए शहरी सेवा कार्यक्रम, 12वें वित्त आयोग की अनुषंसाओं के अधीन एक मुक्त अनुदान, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिषन इत्यादि)		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4,33.36	3,01.72
	(म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि)		
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,42.64	1,29.78
	(ग्रामीण क्षेत्रों को गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण इत्यादि)		
2702	लघु सिंचाई	74.09	70.01
	(अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य इत्यादि)		
2852	उद्योग	76.37	69.77
	(भारत—ओमान रिफाइनरी लि. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति इत्यादि)		
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	10.57	10.57
	(सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक इत्यादि)		
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.90	6.88
	(स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण—प) इत्यादि		
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	8.50	4.50
	(विज्ञान पार्क की स्थापना इत्यादि)		
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	1.00
	(विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में एपरेल पार्क की स्थापना इत्यादि)		
योग		43,17.01	33,84.84

परिशिष्ट-I

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

परिशिष्ट-I

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

सरकार की सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति	(करोड़ ₹ में)	
	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
क- सामान्य रोकड़ शेष -		
(i) खजानों में रोकड़	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा ¹	मुख्य शीर्ष 8999 (X) (dk) (-) 20,43.74	(-) 8,40.94
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--
(iv) स्थानीय प्रेषण	2.67	2.67
योग	(-) 20,41.07	(-) 8,38.27
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश	मुख्य शीर्ष 8673 ¼d½ 55,59.72	29,29.46
योग-क-सामान्य रोकड़ शेष	35,18.65	20,91.19
ख- अन्य रोकड़ शेष और निवेश -		
(vi) विभागीय रोकड़ शेष	13.54	13.38
(vii) स्थाई अग्रिम	0.79	0.77
(viii) चिह्नित निधियों से निवेश	3,79.95	3,16.76
योग-ख- अन्य रोकड़ शेष और निवेश	3,94.28	3,30.91
योग - क + ख	39,12.93	24,22.10

¹ 16 अप्रैल 2010 तक आर.बी.आई. को सूचित वित्तीय वर्ष 2009-10 से संबंधित रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अंतर्गत शेष को, अंतर-सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को शामिल कर लाया गया है।

(X) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 27.09 लाख के अंतर को अनंतिम रूप से आवंटित मध्य प्रदेश (₹ 5.13 लाख) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 21.96 लाख) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिषोधित किया जाना है।

(का) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 20,43.74 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 19,95.25 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2010 के लेखे बंद होने पर ₹ 48.49 करोड़ (जमा) का अंतर था। अप्रैल 2010 के लेखाओं के बंद होने के उपरांत 48.88 करोड़ ₹ (जमा) का शुद्ध अंतर समाधान के लिये शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखों में, गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

(क) पृष्ठ 31 पर विवरण देखें।

परिशिष्ट-I – जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत खजानों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, सम्मिलित है। भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाते हैं। रोकड़ की समग्र स्थिति पर पहुंचने के लिये खजानों में रोकड़ शेष, विभागों तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों इत्यादि से निवेश को रिजर्व बैंक में जमा के शेषों में जोड़ा गया है।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में 1.96 करोड़ ₹ न्यूनतम शेष रखना पड़ता है। यदि यह शेष राशि करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम, अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

दैनिक रोकड़ शेष¹ बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से आर.बी.आई. 14 दिनी खजाना बिल तथा साथ में उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (आर.बी.आई. काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के होल्डिंग्स जारी करती है। 14 दिनी खजाना बिल की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो तो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि उस दिन कोई भी 14 दिनी खजाना बिल परिपक्व नहीं हो रहे हैं, आर.बी.आई. कमी को ठीक करने के लिये 14 दिनी खजाना बिल्स की होल्डिंग्स की पुनः छूट देती है। यदि उस दिन 14 दिनी खजाना बिल्स की होल्डिंग्स नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 460 करोड़ ₹ थी। सरकारी प्रतिभूतियों के रहन रखने के विरुद्ध बैंक विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने पर भी सहमत हो जाता है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा बैंक द्वारा, समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती है।

वर्ष 2009-10 के दौरान साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 460 करोड़ ₹ थी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा निम्नानुसार थी :-

अवधि	सीमा करोड़ ₹ में
01.04.2009 से प्रभावी	7.01
01.10.2009 से प्रभावी	6.92

¹ वर्ष का अंत नकदी शेष (आर.बी.आई. में जमा) 31 मार्च को संवरित नकदी शेष परन्तु 16 अप्रैल को निकाला गया है तथा 31 मार्च का सधारण शेष नहीं है।

परिशिष्ट-I – जारी

वर्ष 2009-10 के दौरान प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं –

अनु.क्र.	नामकरण	दर	प्रभावी दर
1.	अर्थोपाय अग्रिम (साधारण)		
	(क) 90 दिन तक	रेपो दर	
	(ख) 90 दिन से अधिक	रेपो दर . 1	01 ^० 04 ^० 2009 से 20 ^० 04 ^० 2009 5:
2.	अर्थोपाय अग्रिम (विशेष)	रेपो दर . 1	
3.	कमी	रेपो दर	21 ^० 04 ^० 2009 से 19 ^० 03 ^० 2010 4 ^० 75:
4.	अधिविकर्षण		
	(क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100: तक	रेपो दर . 2	20 ^० 03 ^० 2010 से 31 ^० 03 ^० 2010 5:
	(ख) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100: से अधिक	रेपो दर	

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2009-10 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :-

(i) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना पेशगी लिए बनाये रखी गई	365
(ii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि साधारण अर्थोपाय पेशगी लेकर बनाए रखी गई	..
(iii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि विशेष अर्थोपाय पेशगी लेकर बनाए रखी गई	..
(iv) दिनों की संख्या, जब उपरोक्त पेशगियों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया गया	..
(v) दिनों की संख्या जब ओवर ड्राफ्ट लिए गए	..

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त की गई अर्थोपाय पेशगियों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन-देनों का ब्यौरेवार लेखा नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2009 को शेष	2009-10 के दौरान प्राप्त की गई राशि	2009-10 के दौरान चुकाई गई राशि (करोड़ ₹ में)	31 मार्च 2010 को शेष	2008-09 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज
साधारण अर्थोपाय पेशगियाँ	--	--	--	--	--
विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ	--	--	--	--	--
ओवर ड्राफ्ट	--	--	--	--	--
योग	--	--	--	--	--

31 मार्च 2010 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न हैं :-

प्रतिभूति का प्रकार	राशि (करोड़ ₹ में)
(1) भारत सरकार के खजाना बिल	55,56.19
(2) भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	3.53
योग	55,59.72 ^(क)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपक्वता मूल्य का अनुभाजन छत्तीसगढ़ सरकार को न किये जाने के कारण पृष्ठ 29 पर रोकड़ शेष निवेश लेखा में किए गए निवेश से 0.53 लाख ₹ भिन्न हैं। मामला पत्राचाराधीन है।

परिशिष्ट-I – समाप्त

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर 1,72,84.10 लाख ₹ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर 1,72,49.08 लाख ₹ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर 35.02 लाख ₹) का ब्याज प्राप्त हुआ। जबकि 2008-09 के दौरान 95,95.18 लाख ₹ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर 95,61.08 लाख ₹ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर 34.10 लाख ₹) था।

सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों/ऋण पत्रों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या-14 में दिए गए हैं।

उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशिओं विवरण संख्या-19 में दर्शाई गई हैं।